# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—321/2019/223 (2019/00321)**

1. भैरू पुत्र देवी, जाति बागरिया, निवासी हरमाड़ा, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 18.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 19/1915.**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांकः— 26.08.2020**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की कदीमी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1086/2 रकबा 7—7—0 बीघा ग्राम हरमाडा, तह0 रूपनगढ़ में स्थित है । जमाबंदी संवत् 2022 के खाता संख्या 474 के खसरा नंबर 1086 का रकबा 77—12—10 बीघा किस्म चारागाह दर्ज था जिस पर कई भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा वादी के सदृष्य कई वर्षो से चला आ रहा है जिसके नवीन खसरा नंबर 1086/1 लगायत 1086/6 बनाये गए जिनमें से 1086/5 एवं 1086/6 की भूमि को चारागाह से बिलानाम दर्ज कर जरिये नामांतकरण दिनांक 18.12.1985 को गंगाराम पुत्र गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई उसके पूर्व से ही वादी भी काबिज चला आ रहा है । राज्य सरकार द्वारा कदीमी कब्जे काश्त की चारागाह आराजियात को नियमन किए जाने बाबत् समय—समय पर परिपत्र जारी किये जाकर राजस्व विभाग को खातेदारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा

है । वादी के पास उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई आराजी नही है । उक्त भूमि पर उत्पन्न पैदावार से ही अपना व अपने परिवार का जीविको–पार्जन करता आ रहा है लेकिन खातेदारी दर्ज नहीं करने के कारण कानूनी सलाह के आधार पर दिनांक 19.1.2015 को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस प्रदान किया गया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रतिवादी के कर्मचारीगण वादी/अपीलांट को बदेखल करने पर आमादा हो रहे है । अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को दिनांक 18.5.2016 को कैम्प कोर्ट हरमाडा में उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ एवं बिना नोटिस पत्रावली को कैम्प कोर्ट हरमाडा में वादी की अनुपस्थिति में निर्णित कर दी गई जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वास्ते साक्ष्य वादी विचाराधीन था, ऐसी स्थिति में बिना साक्ष्य ग्रहण किये एवं दस्तावेजात को प्रदर्शित किए बिना मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया गया जो प्रथमदृष्टया अपूर्ण निर्णय व डिक्री होकर काबिल निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी पर वादी पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर चारागाह आराजियात पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत् जारी परिपत्रों के अनुसार भी वादी उक्त आराजियात की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है लेकिन अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि भूमि की किस्म चारागाह है जिससे वाद पत्र डिक्री नहीं किया जा सकता है कतई गलत है क्योंकि इस बाबत् वादी ने अपने वादपत्र में ही अंकित किया है कि खसरा नंबर 1086/5 एवं 1086/6 की भूमि को चारागाह से बिलानाम सिवायचक दर्ज कर जरिये नामांतकरण दिनांक 18.12.1985 को गंगाराम पुत्र गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वादी उसके पूर्व से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । इस कारण वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि भूमि चारागाह होने नियमन किए जाने योग्य नहीं है जबकि वादपत्र में उद्घोषणा बाबत् आज्ञाप्ति जारी की जाती है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नियमन किए जाने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016–17 पेज 566, आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1136, आर0आर0टी0 2007 (1) पेज 125 सुप्रीम कोर्ट, आर0बी0जे0 1998 पेज 188, आर0बी0जे0 2005 पेज 19, आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1090 एवं आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 825 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुति के समय उनके अधिवक्ता ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि जब आवश्यकता होगी तब बुला लेंगे इसके बावजूद प्रार्थी अपने अधिवक्ता से संपर्क करता रहा जिससे अभिभाषक महोदय उससे नाराज हो गये ओर कहा कि तब तक मैं नहीं बुलाता हूं तब तक नहीं आना है । तत्पश्चात् दिनांक 24.7.2019 को हल्का पटवारी ने कहा कि फसल काश्त मत करना नही ंतो बेदखल करके फसल नीलाम कर दूंगा तब बमुश्किल मजदूरी कर किराये की व्यवस्था कर दिनांक 26.7.2019 को अधिवक्ता से जाकर मिला जिन्होंने बताया कि वाद पत्र कैम्प में खारिज कर दिया गया जिसकी जानकारी करके नकल लूंगा और नकल लेने में हफ्ते भर का समय लगेगा तो सूचना करने पर आ जाना । तब अभिभाषक द्वारा दिनांक 2.8.2019 को नकल तैयार होने पर सूचना दी गई । इसके उपरांत प्रार्थी ने फीस की व्यवस्था कर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है जिसकी खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नियमों में नहीं है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित विलंब के कारण उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 1086/2 रकबा 7–7–0 बीघा ग्राम हरमाडा, तह0 रूपनगढ़ की आराजी बाबत् पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, रूपनगढ़ ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 593 में खसरा नंबर 1086/2 रकबा 7–7–00 बीघा भूमि चारागाह दर्ज है । हरमाडा की जमाबंदी संवत् 2022 के खाता संख्या 174 में खसरा नंबर 1086 रकबा 77–12–10 बीघा चारागाह दर्ज था । वादग्रस्त भूमि चारागाह दर्ज होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रारंभ से राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज रही है तथा चारागाह भूमि की खातेदारी दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत विवादित भूमि चारागाह होकर प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में होने से ऐसी भूमियों की खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से

अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

10. निर्णय आज दिनांक 26.8.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**